केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 20.04.2017

**सीबीआई ने क्रिकेट में सट्टेबाजी के कथित मामले में प्रर्वतन निदेशालय के तत्कालीन संयुक्त निदेशक एवं नौ अन्यों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया**

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने क्रिकेट में सट्टेबाजी के कथित मामले में प्रर्वतन निदेशालय के तत्कालीन संयुक्त निदेशक ; प्रर्वतन निदेशालय के तत्कालीन सहायक निदेशक, अहमदाबाद तथा मुम्बई, दिल्ली, लखनऊ एवं अहमदाबाद निवासी 8 प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 7, 8, 9, 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) एवं उनके प्रमुख अपराधों के तहत सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, अहमदाबाद (गुजरात) में आरोप पत्र दायर किया।

प्रर्वतन निदेशालय, नई दिल्ली की शिकायत पर प्रर्वतन निदेशालय, अहमदाबाद के तत्कालीन संयुक्त निदेशक (आई.आर.एस. अधिकारी, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 2000 बैच) तथा अन्य अज्ञात लोक सेवकों और प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 7, 12 एवं 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दिनांक 22.09.2015 को मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि तत्कालीन संयुक्त निदेशक एवं अन्यों ने क्रिकेट में सट्टेबाजी एवं अन्य मामलों में पी.एम.एल.ए. मामलों की जॉंच के दौरान अनियमितता बरतने हेतु रिश्वत की भारी धनराशि ली। आरोपी एवं संदिग्ध व्यक्तियों के कार्यालय एवं आवास पर दिनांक 23.09.2015 को तलाशी ली। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2016 में जॉंच के दौरान मुम्बई, अहमदाबाद एवं नई दिल्ली में आरोपियों के परिसरों में भी तलाशी ली।

जॉंच के दौरान मुम्बई, दिल्ली एवं अहमदाबाद निवासी तीन आरोपियों को दिनांक 22.08.2016 को गिरफ्तार किया तथा लखनऊ निवासी अन्य आरोपी को दिनांक 05.11.2016 को गिरफ्तार किया तथा उन्हें जमानत मिली। प्रर्वतन निदेशालय के तत्कालीन संयुक्त निदेशक, तत्कालीन सहायक निदेशक तथा मुम्बई व अहमदाबाद निवासी दो प्राइवेट व्यक्तियों को दिनांक 20.02.2017 को गिरफ्तार किया और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत पर है।

आगे की जॉंच जारी है।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जॉंच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधारित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

**********